(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1675–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–3–2015 पारित द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 प्रकरण कमांक 199/निगरानी/2009–10.

बसंत तिवारी पिता स्व0 श्री संतराम ब्राहम्ण
निवासी कोतमा तहसील कोतमा,
जिला अनूपपुर म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर
   जिला अनूपपुर म0प्र0
2. मुस. तिजिया पति स्व0 श्री संतराम ब्राहम्ण
   निवासी कोतमा तहसील कोतमा जिला
   अनूपपुर म0प्र0

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 14 अगस्त 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के आदेश दिनांक 09–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानीकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि सर्वे कमांक 612/1 रकंवा 0.437 हेक्टर स्थित ग्राम कोतमा तहसील कोतमा की भूमि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा विधिवत रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की

थी। विकय पत्र के आधार पर आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के नाम दिनांक 31–5–2000 को नामांतरण हो गया। कतिपय व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्ययालय में जनहित याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका कमांक 318/2009 में आदेश पारित किया कि सर्वे कमांक 612/2 रकबा 0.94 है0 भूमि संयुक्त कलेक्टर के आदेश दिनांक 5–12–2005 के अनुसार भूमि शासन के नाम की जाए। कलेक्टर अनूपपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण कमांक 108/अ–74/09–10 पत्र दिनांक 13–11–09 को तहसील कोतमा को भेजा जिसमें सर्वे कमांक 612/2 रकवा 0.94 डिसीमल रोड निर्माण के संबंध में कार्यवाही किया जाने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार ने आवेदक एवं उसकी मां (अनावेदक कं 2) राजस्व अभिलेख में अभिकथित भूमिस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 612/1 रकबा 0.94 को शासन के नाम अंकित करने के आदेश दिनांक 6–2–2010 को दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध कलेक्टर अनूपपुर को निगरानी प्रस्तुत की जिसे उन्होंने 3 माह के विलम्ब से प्रस्तुत होने से खारिज कर दिया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त को निगरानी की। अपर आयुक्त ने इस आधार पर निगरानी खारिज की कि तहसीलदार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की गई है। आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह नहीं देखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने केवल सर्वे नम्बर 612/2 रकबा 0.94 भूमि को शासकीय दर्ज करने के निर्देश दिये थे, परन्तु तहसीलदार ने सम्पूर्ण 612 सर्वे कमांक की भूमि जिसमें 612/1 भी शामिल है को शासकीय दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03–8–09 के पालन में तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 108/अ–74/09–10 पंजीबद्ध किया जाकर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश दिनांक 06–2–2010 को सर्वे कमांक 612/2 का नामांतरण शासन के पक्ष में किया, जिसे कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा भी विधिवत माना है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ आवेदक अभिभाषक एवं अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति, आयुक्त के आदेश की प्रति के साथ अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आयुक्त के आदेश के पैरा 4 अनुसार प्रश्नाधीन भूमि रकबा 0.94 एकड़ कोतमा मनेन्द्रगढ़ पी.डब्लू.डी. मार्ग के निर्माण हेतु अधिगृहित की गई। भू–अभिलेख अद्यतन न होने के कारण भूमि तत्कालीन भूमिस्वामी के नाम दर्ज बनी रही। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका कमांक 4662/2009 में पारित आदेश दिनांक 03–8–09 में पालन में तहसीलदार ने हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेख अद्यतन करने के आदेश दिये। आयुक्त ने अभिलेख के अवलोकन उपरांत अंतिम रूप से प्रकरण का निराकरण कर यह पाया है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के विचारण न्यायालय में कथन अंकित किये होने से आवेदक को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी थी। आयुक्त ने आवेदक को आदेश की संसूचना होना पाया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में की गई कार्यवाही को उचित माना तथा कलेक्टर के आदेश को भी उचित माना। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निगरानी निरस्त की परन्तु आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिग्रहीत भूमि के सर्वे नम्बर तथा रकबा एवं तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि दर्ज करने के आदेश में दिए गए सर्वे नम्बर तथा रकबे के सम्बन्ध में विचार नहीं किया। आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने मात्र भूमि

सर्वे कमांक 612/2 रकबा 0.94 के संबंध में आदेश पारित किया है जबकि सर्वे कमांक 612/1 को भी शासकीय रूप में भूमि दर्ज कर ली गई। तहसीलदार के आदेश दिनांक 6—2—10 में उल्लिखित है कि अधिगृहीत भूमि खसरा कमांक 612 की भूमि 2.16 एकड़ भूमि को दो भागों में 1.08 बसन्तराम तथा 1.08 भूमि तिजियाबाई के नाम दर्ज होने से पूर्व भूमिस्वामी से पी.डब्लू.डी. रोड के लिए अधिग्रहीत भूमि के रकबा 0.94 एकड़ उसी में शामिल है, अतः सम्पूर्ण रकबा 2.16 को आधे आधे 0.190—0.190 हे0 भूमि दोनों खातेदोरों से काट कर म0प्र0 शासन पी.डब्लू.डी. कि खाते में दर्ज करने के आदेश दिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3—8—09 में सर्वे कमांक 612/2 रकबा 0.94 डि0 तथा डिप्टी कलेक्टर के पत्र दिनांक 13—11—09 में भी 612/2 रकबा 0.94 डि0 को शासकीय दर्ज करने से संबंधित है, परन्तु तहसीलदार के विचाराधीन आदेश में सर्वे कमांक 612 के बटा नम्बर को शासकीय दर्ज करने का उल्लेख नहीं है। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार उक्त प्रकरण के सम्बन्धित अधिग्रहीत भूमि का रकबा कितना था तथा उक्त भूमि के सर्वे कमांक 612 के बटा नम्बर कब किए गए एवं अधिग्रहीत भूमि का बटा नम्बर कौन सा था एवं वास्तव में तत्समय किस भूमिस्वामी की कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई थी जिसके आधार पर भूमि शासकीय पी.डब्लू.डी. दर्ज की गई, उक्त तथ्यों की सम्पूर्ण जांच, अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौके देकर स्पीकिंग आदेश पारित किया जाए।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर